भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 108

07 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

पीडीएस दुकानों में सेंसर

108. श्रीमती पूनम महाजन:

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना के तहत देश की सभी पीडीएस दुकानों पर बायोमीट्रिक सेंसर लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूर-दराज के स्थानों में कुशलता से काम करें;

(ग) क्या सरकार ने ईपीओएस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं क्योंकि डिजिटल निरक्षरता से आम जनता के लिए यह उपकरण पहुंच से बाहर हो जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों के तहत, विभाग द्वारा नवम्बर, 2014 में सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) में बायोमेट्रिक स्कैनरों सहित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों की स्थापना हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत कवर किए गए लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन एवं जहां तक संभव हो, बायोमेट्रिक प्रमाणन के जरिए सब्सिडीयुक्त खाद्यान्नों का पारदर्शी, प्रभावी और सुनिश्चित वितरण किया जा सके। अब तक, देश में कुल 5.34 लाख एफपीएस में से 5.33 लाख (99.8%) से अधिक एफपीएस के पास ईपीओएस उपकरण हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एफपीएस पर बायोमेट्रिक प्रमाणन सुविधाओं सहित इन उपकरणों की उपलब्धता देश में लाभार्थियों के पसंद की किसी भी एफपीएस से उन्हें खाद्यान्नों के वितरण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को प्रमुख रूप से समर्थ बनाता है।

.....2/-

(ख): कुछ राज्यों में दूरस्थ स्थानों/छद्म(शैडो)/नेटवर्क रहित क्षेत्रों में एफपीएस पर ईपीओएस उपकरणों के लिए इंटरनेट/कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, ऐसे एफपीएस स्थानों की सूची इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित मामलों का निराकरण करने के लिए दूर संचार विभाग के साथ साझा की गई है। इसके अलावा, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना की उपलब्धता से लाभार्थियों को इंटरनेट/कनेक्टिविटी से संबंधित किसी चुनौती का सामना किए बिना ही प्रचालित ईपीओएस उपकरणों वाले किसी एफपीएस से उनकी पात्रता वाले खाद्यान्नों का उठान करने के लिए समर्थ बनाता है।

(ग) और (घ): ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के माध्यम से उनकी पात्रता का खाद्यान्न उठाने के लिए लाभार्थियों के बीच किसी विशेष डिजिटल साक्षरता की जरूरत नहीं होती है। तथापि, ईपीओएस उपकरणों का उपयोग करने के लिए एफपीएस डीलरों को आवधिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/जिला स्तरीय कार्मिकों और अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि प्रभावी और सुचारू रूप से तकनीकी आधारित पीडीएस प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि वितरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बरों पर एसएमएस भेजने के साथ साथ स्थानीय भाषा में सभी लाभार्थियों को ई-पीओएस मुद्रित लेन-देन रसीद प्रदान की जाए।

****